

उपाध्यक्ष कार्यालय
लखनऊ विकास प्राधिकरण
कम्प्यूटर संख्या 681603
दिनांक 26/4/2010

संख्या-1083/आठ-5-10-199ई/98

प्रेमक,

अरुण कुमार सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Mrs. Sangita Singh.
JS (इंजीनियरिंग)
परिष्कार कर आ. 30

सेवा में,

- 1- उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
- 2- अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 26 अप्रैल 2010

विषय:- वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय समस्त श्रेणी के प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए वर्तमान में लागू समयमान-वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की नई व्यवस्था निम्नवत लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त नई व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी होगी। दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान-वेतनमान की पूर्व व्यवस्था ही लागू रहेगी। परिणाम स्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू वेतनमानों में रू0 8000-13500 या उससे उच्च वेतनमान के पदधारकों के संबंध में समयमान-वेतनमान की दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक प्रभावी पूर्व व्यवस्था दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समझी जायेगी।

(2)(i) ए0सी0पी0 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 20 वर्ष व 30 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा के आधार पर, तीन वित्तीय स्तरों पर इस प्रतिबन्ध के साथ दिये जायेंगे कि प्रत्येक वित्तीय स्तरों पर संबंधित कार्मिक द्वारा एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

- (ii) उपर्युक्तानुसार देय तीन स्तरोंनयन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही अनुमन्य होंगे।
- (iii) सन्तोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोंनयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरोंनयन पर भी पड़ेगा। अर्थात् अगले वित्तीय स्तरोंनयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित 10 वर्ष की अवधि की गणना प्रथम वित्तीय स्तरोंनयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।
- (iv) ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात् संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोंनयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोंनयन का लाभ ही देय रह जायेगा।
- (v) प्रदेश के अन्य विभागों में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा को वित्तीय स्तरोंनयन के लिए गणना में लिया जायेगा, परन्तु ऐसे मामलों में ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत देय किसी लाभ हेतु नये विभाग के पद पर परिवीक्षा अवधि (Probation Period) सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के पूर्व विचार नहीं किया जायेगा।
- (vi) ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोंनयन हेतु नियमित सन्तोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा।
- (vii) केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम में की गयी पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरोंनयन के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।
- (3) निर्धारित सेवा अवधि पर वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक-अ पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ-5 के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में संबंधित पद तथा उसकी पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों से संबंधित पद धारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा। वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में अनुमन्य अधिकतम ग्रेड वेतन रू0 12000/- वेतन बैण्ड-4 होगा।
- (4) समयमान-वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08/10 वर्ष तथा 19/21 वर्ष के आधार पर अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोंनयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। जिन कार्मिकों को समयमान-वेतनमान के अन्तर्गत 14/16 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें ए0सी0पी0 के अन्तर्गत प्रथम

वित्तीय स्तरान्णयन अनुमन्य नहीं होगा। इस प्रकार जिन कार्मिकों को 24/26 वर्ष की सेवा के आधार पर द्वितीय वैयक्तिक प्रान्तीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें प्रथम तथा द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन अनुमन्य नहीं होगा।

परन्तु, 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति तथा रागयगान-वेतनमान के अन्तर्गत अनुमन्य पदान्तीय वेतनमान/अगले वेतनमान के लिए अनुमन्य ग्रेड वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप संबंधित पद के सामान्य ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नतियों अथवा समयमान-वेतनमान के अन्तर्गत स्वीकृत पदोन्नति वेतनगान/अगले वेतनमान को ए0सी0पी0 योजना का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

(5) यदि किसी संवर्ग/पद के संबंध में समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था लागू हो तो उस व्यवस्था को भविष्य में बनाये रखने अथवा उसके स्थान पर ए0सी0पी0 की उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाय। किसी भी संवर्ग/पद हेतु समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था तथा ए0सी0पी0 की व्यवस्था दोनों एक साथ लागू नहीं होगी।

(6) वित्तीय स्तरान्णयन का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर संबंधित कर्मचारी के पद नाम, श्रेणी अथवा प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु मूल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं सेवानैवृत्तिक तथा अन्य लाभ संबंधित कार्मिक को वित्तीय स्तरान्णयन के फलस्वरूप निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होंगे।

(7) यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत स्तरान्णयन के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से शासित होगी जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य प्रोन्नति की व्यवस्था शासित होती है। अतः ऐसे मामले उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों एवं तत्कम में जारी निर्देशों से विनियमित होंगे।

(8) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरान्णयन पूर्णतया वैयक्तिक हैं और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई संबंध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेडवेतन की माँग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।

(9) यदि कोई प्राधिकरण कार्मिक किसी वित्तीय स्तरान्णयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस कार्मिक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरान्णयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरान्णयन अनुमन्य कराये जाने के पश्चात संबंधित कार्मिक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है तो संबंधित कार्मिक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरान्णयन वापस नहीं लिया जायेगा। यद्यपि ऐसे कार्मिक को अगले वित्तीय स्तरान्णयन अनुमन्यता

हेतु तब तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह पुनः प्रोन्नति पर विचार किये जाने हेतु सहमत न हो जाय। उक्त स्थिति में अगल वित्तीय स्तरान्तरण की देयता हेतु समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु पुनः सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(10) ऐसे प्राधिकरण कार्मिक जो उच्च पदों पर कार्यरत हों और उसे निम्न पदों के आधार पर देय वित्तीय स्तरान्तरण उच्च पद पर मिला रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा। परन्तु संबंधित कार्मिक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता की तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरान्तरण उच्च पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो संबंधित वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

(11) प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार कार्यरत कार्मिकों को ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्तरण प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए०सी०पी० के अन्तर्गत देय वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे वेतन एवं ग्रेड वेतन, जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

(12) पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था तथा ए०सी०पी० की उपर्युक्त नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये समयमान वेतनमान/ वित्तीय स्तरान्तरण में सम्भावित किसी अन्तर को विसंगति नहीं माना जायेगा।

2- वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक-1 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, जो बैंड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और संबंधित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

3- (1) वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु प्रत्येक प्राधिकरण में एक स्कीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्कीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्कीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा, जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके संबंध में वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी-ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्कीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।

(2) स्कीनिंग कमेटी की प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी तथा जुलाई में सामान्यतः दो

बैठकें आयोजित की जायेंगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह दिसम्बर तक के मामलों पर विचार किया जायेगा तथा माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह जून तक के मामलों पर विचार किया जायेगा।

(3) उक्त स्कीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियों बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में संबंधित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी/वित्तीय स्तरान्वयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी।

(4) प्राधिकरण संवर्ग के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा स्कीनिंग कमेटी का गठन इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में कर लिया जायेगा।

(5) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्वयन का लाभ संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्कीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

4- ए0सी0पी0 की व्यवस्था को लागू करने से जो अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा उसे संबंधित प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के संसाधनों से वहन करना होगा, इस हेतु कोई शासकीय सहायता अनुमन्य न होगी।

5- ए0सी0पी0 की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59एम/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के संबंध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

6- उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-357/दस-2010, दिनांक-16-4-2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(अरुण कुमार सिन्हा)


प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- (2) अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
- (3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- (4) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
- (5) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
- (6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
- (7) आवास एवं शहरी नियोजन सचिव, शाखा के समस्त अनुभाग।
- (8) निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(बाबू राम)

अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-1085 / आठ-5-10-199ई/98, दिनांक 26 अप्रैल, 2010
का संलग्नक।

पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोंनयन में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए0सी0पी0 के व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने पर संबंधित कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-22 बी (1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। संबंधित प्राधिकरण के कार्मिक को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम-23(1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा :-

(1) यदि संबंधित प्राधिकरण कार्मिक वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने की तिथि को वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात् 01 जुलाई को वेतन पुनर्निर्धारित होगा। इस तिथि को संबंधित सेवक को दो वेतनवृद्धियाँ, एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी वेतनवृद्धि वित्तीय स्तरोंनयन के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरण स्वरूप, यदि वित्तीय स्तरोंनयन के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन-रू0 100.00 था तो प्रथम वेतनवृद्धि की गणना रू0 100.00 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की गणना रू0 103.00 पर की जायेगी।

(2) यदि प्राधिकरण कार्मिक वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन नियमानुसार निर्धारित किया जायेगा :-

वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तदनुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतनबैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में, अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन

देय होगा। जहाँ वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो वहाँ भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी जहाँ वेतन बैण्ड में आगणित वेतन वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तदनुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

नोट:- प्राधिकरण कार्मिक को वित्तीय स्तरान्णयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। उदाहरण- किसी प्राधिकरण कार्मिक को वित्तीय स्तरान्णयन यदि 02 जुलाई, 2009 से 01 जनवरी, 2010 तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई 2010 को देय होगी।

यदि वित्तीय स्तरान्णयन किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी। उदाहरण- किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरान्णयन यदि 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

04/

23/7
(यादू राम)
अनुमन्त्रि,
आवक एवं शहरी निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन